राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1409/2023

दलसुख राम पटेल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.05.2023
आदेश की दिनांक : 25.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अतिरिक्त प्रशासिनक अधिकारी के पद पर राजकीय श्री किशनलाल गर्ग उच्च माध्यमिक विद्यालय जिला डूँगरपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 14.03.2023 (अनुलग्नक–ए1) के द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति का परित्याग माना गया है और उसे अपास्त फरमाये जावे एवं आदेश दिनांक 16.03.2023 अनुलग्नक–ए2 के द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति फॉरगो मानते हुए सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बलवारा, डूँगरपुर में लगाया गया है उसे अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को राजकीय श्री किशनलाल गर्ग राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डूँगरपुर में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्य करने के निर्देश दिये जावे। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 10.11.2022 के द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09.11.2022 के द्वारा सहायक प्रशासनिक अधिकारी को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पे–मैट्रिक लेवल, एल–11 में वर्ष 2022–23 की रिक्तियों के विरूद्व वरिष्ठता सहयोगिता के आधार पर पदोन्नति की

गई जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 668 पर अंकित है और उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी जहां कार्यरत था उसी स्थान पर दिनांक 11.11.2022 को कार्यग्रहण कर लिया। पदोन्नति आदेश दिनांक 10.11.2022 में यह अंकित किया गया है कि अलग से नियमित रूप से पदस्थापन आदेश जारी किये जायेगे और आदेश दिनांक 08.12.2022 के द्वारा पदोन्नत कर्मचारियों का पदस्थापन आदेश जारी किया गया। जिसमें अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मेवाडा डूँगरपुर में पदस्थापित किया गया अपीलार्थी विकलांग कर्मचारी है उसे कानों से सुनाई नहीं देता और आँखों से भी दिखाई नहीं देता जो अनुलग्नक–ए7 से प्रकट होता है। अपीलार्थी ने उक्त पदस्थापन के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन दिया, परन्तु उस पर कोई निराकरण नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 14.03.2023 के द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति को परित्याग मान लिया और उसे मूल पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त कर दिया गया जबकि अपीलार्थी मूल पदस्थापन स्थान से दिनांक 14.03.2023 तक न तो कार्यमुक्त हुआ था और न ही अपीलार्थी ने कभी पदोन्नति परित्याग के बारे में सूचित किया था। इस प्रकार उक्त आदेश अनुचित एवं विधि विरूद्व है। आदेश दिनांक 16.03.2023 के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 14.03.2023 के आदेश के आधार पर पदोन्नति परित्याग मानते हुए सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बलवारा डूँगरपुर में पदस्थान कर दिया गया। जो अनुचित एवं विधि के विरूद्व है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 14.03.2023 (अनुलग्नक–ए1) के द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति का परित्याग माना गया है और उसे अपास्त फरमाये जावे एवं आदेश दिनांक 16.03.2023 अनुलग्नक–ए2 के द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति फॉरगो मानते हुए सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बलवारा, डूँगरपुर में लगाया गया है उसे अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को राजकीय श्री किशनलाल गर्ग राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डूँगरपुर में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्य करने के निर्देश दिये जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर श्री किशनलाल गर्ग उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिला डूँगरपुर में कार्यरत है। चूंकि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 14.03.2023 (अनुलग्नक–ए1) एवं आदेश दिनाक 16.03.2023

(अनुलग्नक–ए2) के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 14.03.2023 अनुलग्नक–ए1 के द्वारा पदोन्नति उपरान्त नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नही किये जाने के कारण अपीलार्थी को पदोन्नति परित्याग की श्रेणी में मानकर उसे सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदस्थापित कर दिया गया और आदेश दिनांक 16.03.2023 के द्वारा अपीलार्थी पदोन्नति परित्याग की श्रेणी में होने से पुनः सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर करने के निर्देश देकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बलवारा डूँगरपुर पदस्थापित कर दिया गया है जबकि अपीलार्थी ने पदोन्नति परित्याग के संबंध में ऐसा कोई आवेदन प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत नहीं किया। अनुलग्नक–ए4 के अवलोकन से यह प्रकट होता है की अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति उपरान्त नजदीकी विद्यालय में पदस्थापन के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसका प्रतयर्थी विभाग द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया है। अतः इस संबंध में हम यह आदेश देना समीचीन समझते है कि अपीलार्थी आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी तीन सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश दिनांक 14.03.2023 (अनुलग्नक–ए1) एवं आदेश दिनांक 16.03.2023 (अनुलग्नक–ए2) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य